फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या :   /2025

उनवानः–   बाबूलाल   बनाम   ओमप्रकाश

पत्रावली आज दिनांक 07.10.2025 को पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र टीआई का जवाब न देकर सीधे बहस टीआई हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये है मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित समझते है जिससे वाद में बाहुल्यता न बढ़े।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 46 पुराना 45 के खसरा नंबर 174 रकबा 0.2100 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर वाकै ग्राम जुझारपुरा उर्फ मेन्दला पटवार हल्का जयपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौके व रिकॉड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner